MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

No. 1(6)/2018-SP-I - The Central Government, with a view to improve liquidity of the sugar industry; enabling them to clear cane price arrears of farmers and to stabilize domestic sugar price, notified the Scheme for Creation and Maintenance of Buffer Stock of 30 Lakh MT of sugar by the sugar mills in the country for one year with effect from 1st July, 2018 vide notification No. 1(6)/2018-SP-I dated 15.06.2018.

2. Now, in pursuance of para 12 of the said notification dated 15.06.2018, Central Government makes following changes in the said notification:-

Following para may be inserted in para '4' after sub-para "d(ii)":-

"Provided further that for the quarterly reimbursement of the buffer subsidy in respect of quarter III (January-March, 2019) and quarter IV (April-June, 2019), the sugar mill is required to fully comply with all the orders/directives issued by Department of Food & Public Distribution for compliance during 2018-19 sugar season."

File No.1 (6)/2018-SP-I

(Suresh Kumar Vashishth)
Joint Secretary to the Government of India

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 2018

सं. 1(6)/2018-एसपी-I - केन्द्रीय सरकार ने चीनी उद्योग की नकदी की स्थिति में सुधार करने; उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में समर्थ बनाने और घरेलू चीनी मूल्य को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से देश में चीनी मिलों द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2018 से एक वर्ष के लिए 30 लाख टन चीनी का बफर स्टाक तैयार करने तथा उसका रखरखाव करने के लिए दिनांक 15.06.2018 की अधिसूचना सं. 1(6)/2018-एसपी-I द्वारा एक स्कीम अधिसूचित की थी।

2. अब, दिनांक 15.06.2018 की उक्त अधिसूचना के पैरा सं. 12 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन करती है:-

पैरा '4' में उप-पैरा 'घ (ii)' के पश्चात निम्नलिखित पैरा को अन्तः स्थापित किया जाए:-

"यह भी कि तीसरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 2019) तथा चौथी तिमाही (अप्रैल-जून, 2019), से संबंधित बफर सब्सिडी की त्रैमासिक प्रतिपूर्ति के लिए चीनी मिल को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चीनी मौसम 2018-19 के दौरान अनुपालनार्थ जारी किए गए सभी आदेशों/निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करना अपेक्षित है।"

फाइल सं. 1(6)/2018-एसपी-I

(सुरेश कुमार वशिष्ठ)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार